Structural Audit of Group Housing Societies

*1708. SH. RAKESH DAULTABAD, MLA.: Will the Chief Minster be pleased to state whether any order or notification has been issued by the Government for structural audit of group housing societies in Gurugram after recent floors collapse in Chintals High Society in Gurugram?

Reply

Manohar Lal, Chief Minister

Yes sir.

The statement is laid on the table of the house.

Statement

The Department of Town and Country Planning, Haryana is granting licence since 1975 and for the first time since then, an incident has happened on 10.02.2022 in the project namely Chintel Paradiso, Sector 109 Gurugram, where one portion of the building from 6th floor has collapsed and two persons have died.

The Department of Town and Country Planning immediately ordered for conduct of structural audit of Chintel Paradiso from IIT Delhi, to find out the reasons behind this mishap. District Magistrate, Gurugram has also constituted a committee under the chairmanship of Additional District Magistrate, Gurugram which will coordinate with expert team appointed by IIT Delhi. This committee will submit its report within three months and find out the reason behind this mishappening and also suggest safeguards to be followed to avoid such mishappening in future.

The Department has also ordered for conduct of Structural audit in five Residential Group Housing Colonies from IIT Roorkee, where such complaints have been received. The list of such colonies is as under:-

Sr. No.	Name of the	Sector	Licence No.	Colony area (in acres)	Occupation certificate
	Colony				granted on
1.	Raheja	108	204 of	10.67	17.11.2014 &
	Vedanta		2007		03.06.2016
2.	Raheja	109	257 of	15.61	20.05.2014 &
	Atharwa		2007 &		19.11.2014
			14 of		
			2011		
3.	Brisk	109	174 of	10.79	19.05.2016
	Lumbini		2008		
4.	МЗМ	107	33 of	18.88	20.04.2017 &
	Woodshire		2012		24.07.2017
5.	Mahindra	110-A	43 of	17.17	16.10.2014,
	Aura		2008		12.08.2015,
					10.12.2015 &
					28.09.2016

'1708. श्री। राकेश दौलताबाद, विधायकः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरूग्राम में चिन्टल हाई सोसाइटी में हाल ही में फर्श गिरने के बाद गुरूग्राम में वर्ग अवासीय कॉलोनी के संरचनात्मक ऑडिट के लिए सरकार द्वारा कोई आदेश या अधिसूचना जारी की गई है या नहीं।

जवाब

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

जी श्रीमान।

विवरण सदन के पटल पर रखा गया है

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा, 1975 से लाइसेंस प्रदान कर रहा है और उसके बाद से पहली बार 10.02.2022 को सेक्टर 109 गुरूग्राम में चिंटेल पैराड़िसो, नामतः परियोजना में एक घटना घटित हुई, जहां छठी मंजिल से इमारत का एक हिस्सा ढह गया है और दो लोगों की मौत हो गई।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए तुरंत आइ.आइ.टी दिल्ली से चिंटल पैराडिसो का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिलाधीश, गुरूग्राम की अध्याक्षता में जिलाधीश गुरूग्राम ने भी एक कमेटी गठित की है जो कि आइ आइ टी दिल्ली द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ टीम के साथ समन्वय करेगा। यह समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना से बचने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का भी सुझाव देगी।

विभाग ने, पांच अवासीय समूह हाउसिंग कॉलोनियों में जहां ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, आई.आई.टी रूड़की से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के भी आदेश दिए हैं। ऐसी कॉलोनियों की सूची इस प्रकार है:—

क्रमांक संख्या	कॉलोनी का नाम	क्षेत्र	लाइसेंस संख्या	कॉलोनी क्षेत्र (एकड़ में)	आधिपत्य प्रमाणपत्र प्रदान किया गया
1.	रहेता वेदांता	108	2007 का 204	10.67	17.11.2014 तथा
					03.06.2016
2.	रहेजा	109	2007 का 257	15.61	20.05.2014 तथा
	अथरवा		तथा २०११ का १४		19.11.2014
3.	ब्रिस्क	109	2008 का 174	10.79	19.05.2016
	लुम्बिनी				
4.	एम थ्री एम	107	2012 का 33	18.88	20.04.2017 तथा
	वुड़शायर				24.07.2017
5.	महिंद्रा औरा	110.ए	2008 का 43	17.17	16.10.2014,
					12.08.2015,
					10.12.2015 तथा 28.09.2016